



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 25-07-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के 673/22 धारा 147/148/149/
323/307/336/504/506 भादवि व 7 CLA Act में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24-07-2022 को थाना कोतवाली बडौत पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खरखडी में दो पक्षों में झगडा हो रहा है सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे जहां पर प्रथम पक्ष के अभियुक्त 1. इकबाल, 2. बिलाल, 3. शोएब, 4. आसिफ, 5. जमशैद,



6. मुस्तफा, 7. खुर्शेदे, 8. मौसिन, 9. साकिर, 10. अय्यूब, 11. साहिल, 12. मुनफेद, 13. ईदरिश, 14. असलम, 15. लियाकत निवासीगण ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत तथा द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 1. तनवीर, 2. मनीष, 3. गुल्ला, 4. जुबैर, 5. काला, 6. वकील, 7. इमरान, 8. मुस्तकीम, 9. शरफराज, 10. अनिस, 11. अफसर, 12. गुलशेर उर्फ नूरा उर्फ नूर मौहम्मद, 13. मनीष पुत्र जबरदीन, 14. गुलफाम, 15. अमित, 16. आलू, 17. शकील निवासीगण ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत आपस में अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डे, धारदार हथियार व अवैध तमंचे लेकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नियत से फायरिंग तथा मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड़ रहे थे। झगडे में साहिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम खरखडी

घायल हो गया। पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नही माने और झगडा करने लगे। आस-पास के लोगों ने बताया कि दिनांक 20.07.22 को इन्ही दोनों पक्षो का झगडा हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। उक्त झगडे के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 673/22 धारा 147/148/149/323/307/ 336/504/506 भादवि व 7 CLA Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 673/22 धारा 147/148/149/323/307/336/504/506 भादवि व 7 CLA Act में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- इमरान पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री अशोक कुमार थाना कोतवाली बडौत

2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बडौत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.07.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 686/22 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक गैस सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी) व एक इन्वर्टर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सोनू पुत्र युनुस निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा टटीरी रेलवे फाटक के पास वादी की दुकान से एक इन्वर्टर , बैटरा व एक



गैस सिलेण्डर चोरी हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 686/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 686/22 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक गैस सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी) व एक इन्वर्टर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र गोपाल निवासी ग्राम मेवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक गैस सिलैण्डर(इण्डेन कम्पनी) ।
- एक इन्वर्टर (रंग काला) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 399 वीरपाल कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 25.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 272/22 धारा 354/504/506
भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 272/22 धारा 354/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-ईश्वर पुत्र श्री रामसिंह उर्फ दारोगा निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर
- 2- का0 1027 रामकिशन थाना सिंघावली अहीर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.07.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- विक्रम सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम गौरीपुर मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार को0बागपत ।

2-है0का0 399 वीरपाल को0बागपत ।